

कार्यालय:-वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

क्रमांक:-स्था./ 545

दिनांक:- 17.05.2021

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जारी परिपत्र क्रमांक 08/पीआई/2021 दिनांक 16.05.2021 के निर्देशों की अनुपालना में दिनांक 18.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक निम्नलिखित आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों की सुनवाई इस न्यायालय के द्वारा की जाएगी:-

1. Bail Applications
2. Remand Matters
3. Injunction/Stay Application
4. Supurdgi Application etc.

उक्त आवश्यक प्रकृति के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य समस्त आपराधिक/दीवानी प्रकरणों में आगामी तारीख पेशी निम्न प्रकार नियत की जाती है।

तारीख पेशी	जिनमें अभियुक्त जे.सी में बंद है	आगामी तारीख पेशी	
		आपराधिक	दीवानी
18-05-2021	29-05-2021	10-06-2021	12-07-2021
19-05-2021	31-05-2021	11-06-2021	13-07-2021
20-05-2021	01-06-2021	14-06-2021	14-07-2021
21-05-2021	02-06-2021	15-06-2021	15-07-2021
22-05-2021	03-06-2021	16-06-2021	16-07-2021
24-05-2021	04-06-2021	17-06-2021	17-07-2021

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां

दिनांक:- 17.05.21

क्रमांक:- 547

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बारां।
2. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, बारां।
3. सिस्टम ऑफिसर जिला एवं सेशन न्यायालय बारां को अपलोड करने बाबत
4. नोटिस बोर्ड

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां